

(भारत के राजपत्र के भाग -I, खण्ड -II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/42/2011-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 09 मई, 2012

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मणिपुर व त्रिपुरा सरकारों तथा गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री सौम्या गुप्ता, भा.प्र.से. (मणिपुर-त्रिपुरा :04) की मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (दिल्ली खंड) में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति हेतु उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती हैं।


(एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)